न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 41/2012

अपीलान्ट

वागसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति रजपूत (भोमिया) निवासी देवगढ़ तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. राजस्थान राज्य द्वारा उप तहसीलदार भाद्राजून
2. किशोरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति रजपूत
3. लालुसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति रजपूत
4. सोनाराम पुत्र पुनमाराम जाति नाई
5. शिवलाल पुत्र मोहनलाल जाति नाई
6. शंकरगिरी पुत्र किशनगिरी जाति गोस्वामी
7. अर्जुनसिंह पुत्र मोडसिंह जाति रजपूत निवासीगण देवगढ (छापरिया) तहसील आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मधुसूदन व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 542/2011 में उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2011 तथा राजस्व अपील संख्या 94/2011 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सेलडी के खसरा नम्बर 80 की भूमि आई

हुई स्थित है, जिसकी किस्म गै0मु0 लाटा है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट एवं उससे पूर्व अपीलाण्ट के पूर्वजों का कब्जा काश्त था। आज भी उक्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस जारी करने पर अपीलाण्ट नियत तारीख पेशी को भाद्राजून गया, तो उस समय पीठासीन अधिकारी मौजूद नहीं थे, इस पर उनके कार्मिकों द्वारा आगामी पेशी दिये जाने का कहा गया। इस पर अपीलाण्ट वापस चला आया। जैर अपील वादस्थ भूमि पर लगभग 40 से 50 फुट लम्बी दीवार बनी हुई है तथा निर्माण सामग्री पडी है। उक्त भूमि तत्कालीन जागीरदास द्वारा अपीलाण्ट के पिता को दी गई थी तथा मौके पर कब्जा करवाया था, तब से उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के पिता एवं उनके पश्चात अपीलाण्ट काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरूद्ध रूप से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम देवगढ के खसरा नम्बर 80 रकबा 0.79 हैक्टयेर किस्म गै0मु0 लाटा की भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि में से 0.32 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम देवगढ के खसरा नम्बर 80 रकबा 0.79 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 लाटा की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का सेलडी द्वारा उप तहसीलदार भाद्राजून के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वागसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति रजपूत द्वारा खसरा नम्बर 80 रकबा 0.79 हैक्टेयर में से 0.32 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर काश्त किया है, इस पर उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 21.10.2011 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह चस्पा किया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जुर्माना आरोपित किया तथा आदेश बेदखली पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जालोर के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें मातहत अदालत द्वारा विवादित भूमि से बेदखली, जुर्माना आदि के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलाण्ट की अपील खारिज की है। इसके

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पश्चात अपीलाण्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। प्रथमतः अपीलाण्ट द्वारा उप तहसीलदार भाद्राजून के समक्ष जवाब प्रस्तुत ही नहीं किया तथा न ही कोई अन्य अनुतोष चाहा। इसके पश्चात न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पुराना/पुश्तैनी कब्जा साबित होता हो। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में ही परिलक्षित होता है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत राजकीय भूमि की सुरक्षा एवं अतिक्रमण मुक्त करने का दायित्व बतौर भूमिधारी तहसीलदार का होता है। इस कारण तहसीलदार द्वारा नियमों में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है। उक्त दोनों ही आदेशों में किसी प्रकार की त्रुटी परिलक्षित नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 542/2011 में उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2011 तथा राजस्व अपील संख्या 94/2011 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2012 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.4.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर